न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

(पीठासीन अधिकारी भावना राघव गूर्जर, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 97/2018 दायरा दिनांक : 25.06.2018

उनवान

श्योनाथ आयु 75 वर्ष पुत्र श्री धन्नालाल, जाति मीणा, निवासी ग्राम मुसेन माताजी, तहसील अटरू, जिला बारां

.... अपीलांट

बनाम

1— प्रहलाद पुत्र श्योनाथ, आयु 54 वर्ष, जाति मीणा, निवासी ग्राम मुसेन माताजी, तहसील अटरू, जिला बारां

2— मांगीलाल पुत्र श्योनाथ, जाति मीणा, निवासी ग्राम मुसेन माताजी, तहसील अटरू, जिला बारां मृतक जरिये कायम मुकामान :—

2/1— ओम प्रकाश पुत्र मांगीलाल, आयु 27 वर्ष, जाति मीणा, निवासी ग्राम मुसेन माताजी, तहसील अटरू, जिला बारां

2/2— मोरपाल पुत्र मांगीलाल, आयु 27 वर्ष, जाति मीणा, निवासी ग्राम मुसेन माताजी, तहसील अटरू, जिला बारां

2/3— रघुवीर पुत्र मांगीलाल, आयु 21 वर्ष, जाति मीणा, निवासी ग्राम मुसेन माताजी, तहसील अटरू, जिला बारां

2/4— तुलसां बाई बेवा मांगीलाल, आयु 50 वर्ष, जाति मीणा, निवासी ग्राम मुसेन माताजी, तहसील अटरू, जिला बारां

.... रेस्पोडेंट

उपस्थित — श्री विद्याशंकर गोस्वामी अभिभाषक अपीलांट की ओर से

श्री सत्य नारायण मीणा एवं श्री राजेन्द्र कुमार सुमन

अभिभाषक रेस्पोडेंट की ओर से

निर्णय **दिनांक : 23.12.2019**

यह अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम उपखण्ड अधिकारी, अटरू के प्रकरण संख्या – 20/2018 निर्णय दिनांक 23.05.2018 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है ।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि ग्राम मुसेन माता जी, तहसील अटरू, जिला बारां में अपीलांट के खाते एवं कब्जे ज्ञष्त की आराजी खाता संख्या 194 खसरा नम्बर 113 रकबा 3.32 हेक्टर, खसरा नम्बर 132 रकबा 0.72 हेक्टर, खसरा नम्बर 184 रकबा 0.42 हेक्टर, खसरा नम्बर 318 रकबा 0.06 हेक्टर, खसरा नम्बर 562 रकबा 0.15 हेक्टर कुल 5 किता की कुल रकबा 6.69 हेक्टर आराजियात स्थित है जिसका अपीलांट खातेदार एवं काबिज काश्तकार है । अपीलांट एक काफी वृद्ध व शारीरिक रूप से कमजोर व्यक्ति है । रेस्पोडेंट उसकी पुत्री व पुत्रवधू एवं पोते हैं जो अपीलांट की वृद्धावस्था का नाजायज फायदा उठाकर उसे अकारण तंग एवं परेशान करते हैं और बुढ़ापे में उनकी सेवा न करके उसके साथ मारपीट करते हैं व बेघरबार कर आराजी से बेदखल करने की धमकियां देते हैं । उपरोक्त रंजिश रेस्पोडेंट द्वारा नितान्त, असत्य, निराधार एवं बनावटी तथ्यों के आधार पर न्याय आपके द्वार शिविर में अपीलांट के विरूद्ध एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर उपरोक्त वर्णित आराजी के सम्बन्ध में स्थगन चाहा गया जिस पर अपीलांट को सुने बिना ही एक तरफा आदेश पारित करने में अधीनस्थ न्यायालय ने त्रुटि की है अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि विरूद्ध एवं न्याय संचिका में निहित तथ्यों के सर्वथा विपरीत होने से निरस्तनीय है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवायी का समुचित अवसर नहीं दिया गया है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 23.05.2018 अपास्त किया जावे ।

अपील प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर की गई । नोटिस जारी किये गये । बहस उभयपक्षीय सुनी गई ।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया । अपीलांट अपील के तथ्य प्रमाणित करने में विफल रहा है । अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय उचित है जिसमें हम किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते हैं ।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 23.05.2018 यथावत रखा जाता है ।

निर्णय आज दिनांक 23.12.2019 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(भावना राघव गूर्जर)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा